International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 8, August 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

"उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

निर्देशक
डॉ विजय लक्ष्मी शर्मा

सतीश चन्द सैनी
रिसर्च स्कॉलर(पीएच.डी)

शिक्षा विभाग
सुरेश ज्ञान विहार विश्वविदयालय, जयपुर

सारॉश

मानव बुधिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण इसको कुछ ऐसे मूल अधिकार तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त रहते हैं जिसे सामान्यतः मानव अधिकार कहा जाता है मानवाधिकार मानव की स्वतंत्रता के पुनीत अधिकार हैं। जब मानवीय घटनाओं के दौर में किसी भी जन समाज के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन राजनीतिक बंधनों को तोड़ दे जिन्होंने उसे किसी अन्य जन समाज से जोड़ रखा है और इस प्रकार विश्व की शक्तियों के बीच अपना वह पृथक और समान स्थान ग्रहण करे, जिसका अधिकार उसे प्रकृत्ति तथा प्रकृति के नियता द्वारा प्रदान किया गया है। तो मानव जाति के प्रति शालीनपूर्ण सम्मान की भावना विकसित हो जाती है। फ्रान्स में 26 अगस्त 1789 को ''मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा अंगीकार की गई। जिसे बाद में मध्य व दक्षिण अमेरिका, ऐशिया व अफ्रीका के देशों ने अपनाया।डवार्टन ऑक्स में तैयार की गई योजना पर 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को नगर में आयोजित सम्मेलन में एक अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया इसमें मूल मानवाधिकारों तथा व्यक्ति की गरिमा और महत्व में आस्था का इजहार किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की है। अतः 10 दिसम्बर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 21वीं सदी में व्यक्ति ने तीव्र वैज्ञानिक प्रगति की है। व्यक्ति चांद पर पहुंच गया है। अनेक नये–नये ग्रहों की खोज कर उन पर जीवन की सम्भावनाओं को देख रहा है। लेकिन आज 21वीं सदी के प्रारम्भ में जहां शिक्षा के प्रचार–प्रसार के बावजूद भी आज लोग मानवाधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। अतः मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन जरूरी है। इस स्वार्थ लिप्सा पर अंकुश लगाने के नियत्त मानवाधिकार की वकालत की गई है। साथ ही मानव समाज की व्यवस्था में जटिलता के नये–नये रूप भी सामने आने लगे। अतः 24 अक्टूबर, 1945 को यू.एन.ओ. के चार्टर में मानवाधिकार व मूल स्वतंत्रताओं का प्रावधान रखा गया। चार्टर के अनुच्छेद 68 के पालन में श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग बना जिसकी सिफारिशों के संशोधनों सहित 10 सितम्बर 1948, को महासभा में स्वीकार कर लिया गया। यह अधिकार पत्र ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है तथा यह घोषणा **"मानव–अधिकारों की विश्व–घोषणा"** कहलाती है। **कुंजी शब्द–मानवाधिकार, अंगीकार करना ,अभिवृत्ति, जागरूकता, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपादेयता**

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

प्रस्तावना–

सृष्टि प्रक्रिया के साथ–साथ विभिन्न विचारकों ने मानव के कर्म स्वभाव और अधिकार की विवेचना की है, सृष्टि विवेचन से विदित होता है कि इसका सृजन प्राणिमात्र के सुखार्थ है। वेद सृष्टि का संविधान है, तो यह कैसे हो सकता है कि सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी मानव के अधिकारों का वर्णन उसमें न किया गया हो।मानव अधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी मानव प्राणी के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक है। मानव जाति के लिए मानवाधिकारों का अत्याधिक महत्व है। अतः इसे 'मूल अधिकार', 'अन्तनिर्हित अधिकार' भी कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में मानवाधिकारों की वकालत भारतीय संस्कृति के जन्म के साथ हुई। यदि वर्तमान से प्राचीन की तुलना मानवाधिकारों से की जाये तो वर्तमान के मानवाधिकारों का कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है।

वर्तमान वेदनायुक्त सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवाधिकार एवं संवैधानिक मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति उच्चमाध्यमिक विद्यालय एंव स्नातक स्तर के शिक्षकों व छात्र–छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

समस्या कथन :–"उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।"

समस्या का औचित्य :–

विद्यालयो में शिक्षकों द्वारा मानव अधिकार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । यदि छात्रों व अध्यापकों को मानव अधिकारों की जानकारी नही होगी तो वह स्वयं छात्रों व अध्यापकों के लिए घातक सिद्ध होगी। निःसंदेह मानवता के प्राण के लिए मानव अधिकारों की शिक्षा नितान्त अनिवार्य है। वर्तमान में शिक्षा जहां व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में निरन्तर रचनात्मक कार्य करती है, जिससे स्वस्थ समाज एव स्वावलम्बी राष्ट्र का निमार्ण होता है और उसको वास्तविक गति देने का कार्य कुशल शिक्षक ही करते है।

लेकिन इन अधिकारों के प्रति मानव में जागरूकता के अभाव में आज भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। समाज के सभी लोग आज भी मानवाधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इस जागरूकता के अभाव में मानव को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्रतार्पूवक नहीं कर सकता है। **अतः वर्तमान समय में मानवाधिकारों की रक्षा की समस्या एक गम्भीर समस्या है। अतः जब शोधकर्ता द्वारा यह महसूस किया गया कि वर्तमान समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण की समस्या एक गम्भीर समस्या है,** समाज में आज अध्यापकों द्वारा की गई पिटाई से छात्र की मृत्यु हो जाना, पुलिस स्टेशन में पुलिस की

पिटाई से कैदी (अपराधियों) की मृत्यु हो जाना, अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा मरीज के गलत ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप मरीज की मृत्यु हो जाना तथा समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को देखकर शोधकर्ता ने यह निश्चय किया कि मानवाधिकारों की समस्या को लेकर शोध किया जाना चाहिए। यह समस्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर शोध की आवश्यकता शोधकर्ता द्वारा समझी गई है। अतः समाज के लोगों में एवं छात्र तथा शिक्षकों को मानवाधिकारों की जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे व्यक्ति जागरूक हों और स्वंय निर्णय ले सकें।

अतः मानव अधिकारों के निष्ठावान जागरण हेतु अन्य क्षेत्रों की प्रभावी भूमिका आवश्यक है। शिक्षक यदि भावात्मक तौर पर मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा रखेंगे, तभी मानव अधिकार के अनुरूप उनका आचरण बनेगा, तभी वे अपने और अन्यों के मानव अधिकारों के लिए लडेंगे, तथा स्वयं द्वारा मानव अधिकार के हनन से बच सकेगे।

यह इस वर्तमान अध्ययन की विषयवस्तु है, इस अध्ययन के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण निश्चित रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार समाज में उत्पन्न विभिन्न समास्याऐं का अवलोकन करने एंव देश एंव विदेश में हुऐ अध्ययन के आधार पर शोध के उद्देश्य एंव समस्या का औचित्य से मन मस्तिष्क में उत्पनन्न विपलव की स्थिति ने ही शोधार्थी को इस विषय पर शोध अध्ययन करने के लिये प्रेरित किया है ।

यह अध्ययन उन व्यक्तियों के लिए भी है जो अपने जीवन में मानवाधिकारों को अपनाना चाहते है, यहां हरेक समय उत्साहित करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तथा कदम–कदम पर सहायता करेगा ।

यह समस्या वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर शोध होने की आवश्यकता शोधकर्ता द्वारा समझी गई है। अतः शोधकर्ता को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि –

- उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता है ?
- उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की राजनैतिक एवं सांस्कतिक. सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता है ?
- उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की अर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों तथा नैतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता है?
- लिंग भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर मानवाधिकारो के प्रति जागरूकता में क्या अन्तर पाया जाता है?
- उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विषय वर्ग के आधार पर शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में भिन्नता का अन्तर पाया जाता है?

शोध अध्ययन के उद्देश्य :– "उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

निम्नलिखित संदर्भो में किया जायेगा–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. लिंग भेद के आधार पर शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न संकायों में अध्यापनरत् शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोधअध्ययन की परिकल्पना :–

शोधकर्ता द्वारा अपने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के कार्य को पूर्ण करने के लिए शून्य (नल) परिकल्पना का प्रयोग किया गया है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाऐं निम्न निर्मित की गई हैं :–

❖ खण्ड प्रथम

शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

1.लिंग सम्बन्धी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

2.विषय वर्ग सम्बन्धी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

(A) लिंग भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(B) उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(C) उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(D) उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(E) उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(F) उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

विषय भेद वर्ग आधारित मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की परिकल्पनाएँ –

(विज्ञान+कला+वाणिज्य)

2 विषय संकायों के भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.1उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.2उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.3उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.4उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.5उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. विषय भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

(a) उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(b) उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(c)उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(d)उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(e) उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(4)विषय भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषय ों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

(a)उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विविषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(b)उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(c)उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(d) उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(e)उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :—शोधकर्ता ने शोध अध्ययन में निम्न शब्दों को प्रयुक्त किया है –

1. उच्च माध्यमिक स्तर :– वर्तमान शिक्षा योजना के अन्तर्गत 11वीं, 12वीं, कक्षा को उच्च माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत माना जाता है।
2. निजी विद्यालय – निजी विद्यालय से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जो किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसायटी या वर्ग द्वारा संचालित किये जा रहे है ऐसे विद्यालयों का प्रशासन स्वयं संस्था या मालिक या समिति के द्वारा संचालित होता है।
3. शिक्षक – शिक्षक से तात्पर्य शिक्षा निदेशालय के अनुसार स्नातक, बी.एड़ एवं मास्टर डिग्री विधि द्वारा स्थापति विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री एवं शिक्षा स्नातकधारियों को उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षक माना जाता है।
4. संकाय :– विषय भेद के सन्दर्भ में विज्ञान/कला/वाणिज्य से है।
5. **जागरूकता :** जागरूकता का तात्पर्य मानवाधिकारों के प्रति ज्ञान व संचेतना से है। जागरूकता किसी विषय वस्तु के प्रति प्रत्यक्षीकरण करने महसूस करने, अधिज्ञान करने की क्षमता है। अभिज्ञानता के इस स्तर में डाटा की अवलोकन द्वारा पुष्टि की जाती है। अतः जागरूकता किसी विषय के प्रति जानकारी रखने की गुणवत्ता है साथ ही जागरूकता एक सापेक्ष संकल्पना है। जागरूकता व्यक्ति के अनुभवों के संदर्भ में पूर्वज्ञान उपलब्ध कराती है, जिससे व्यक्ति किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
6. **मानवाधिकार :** प्रस्तुत शोध अधयन में मानवाधिकार संचेतना एंव जागरूकता से अभिप्राय विभिन्न सकायों में अध्ययनरत छात्र एंव छात्रा तथा अध्यापनरत शिक्षक एंव शिक्षका की नागरिक, सामाजिक , आर्थिक, सांकृतिक एंव राजनैतिक अधिकारों के समरूप अर्जित ज्ञान से है । मानव को संविधान व प्रकृति द्वारा प्रदान किये वे अधिकार जिससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति संविधान के समक्ष समान
7. **अंगीकार करना :** कानून के समक्ष किसी भी तथ्य को स्वीकार करना।

8. **अभिवृत्ति :** किसी भी वस्तु या विचार के प्रति व्यक्ति विशेष का नजरिया जानना।

9. **संयुक्त राष्ट्र संघ :** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित संगठन।

10. **उपादेयता :** परिपेक्ष रूप में महत्व देखना।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के चर –

1. **स्वतंत्र चर –**प्रस्तुत शोध अध्ययन में लिंग भेद व विषय या संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) के शिक्षक स्वतंत्र चर है।
2. **आश्रित चर –**प्रस्तुत शोध अध्ययन में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता आश्रित चर है।

प्रस्तुत शोध की परिसीमाऐं निम्न लिखित हैं।–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में भरतपुर जिले के निजी उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों को समन्वित रुप से उनकी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता जानने हेतु अध्ययनार्थ लिया गया है।

1. विषय वर्ग के अन्तर्गत कला/विज्ञान/वाणिज्य विषय में अध्यापनरत् शिक्षकों (शिक्षक/शिक्षिका) को समन्वित रूप से शोध अध्ययनार्थ लिया गया है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल हिन्दी माध्यम के शिक्षकों को ही चयनित किए गया है।
3. विषय वर्ग के अन्तर्गत विज्ञान,वाणिज्य तथा कला वर्ग के शिक्षकों को समन्वित रूप से शोध अध्ययनार्थ लिया गया है। विषय की शाखाओं के आधार पर नहीं।
4. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता मापने के लिए प्रोफेसर परमानन्द सिंह एवं डॉ. लालधारी यादव द्वारा निर्मित प्रश्नावली मापनी का प्रयोग किया गया है।
5. प्रस्तुत अध्ययन केवल भरतपुर जिले के निजी उच्च माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों तक सीमित है।
6. प्रस्तुत अध्ययन में प्रस्तुत प्रश्नावली सम्बन्धित विषय शोध के अध्ययन से सम्बन्धित है।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है किसी भी क्षेत्र में जैसे आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तत्कालीन परिस्थिति की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। किसी क्षेत्र में जागरूकता लाना है तो आज की स्थिति उस क्षेत्र में क्या है। यह शोधकर्ता को ज्ञात करना जरूरी होता है तभी वह कोई कदम उठा सकता है। इस कार्य के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या :–

जिसके लिए चर का मान अभीष्ट है, जनसंख्या कहते हैं। प्रत्येक शोध कार्य के लिए जनसंख्या का निर्धारण करना अभीष्ट है। इसी जनसंख्या के सर्वेक्षण से तथ्यों एवं प्रदत्तों का आकलन किया जाता है प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या के अन्तर्गत भरतपुर जिले के (निजी) उच्चमाध्यमिक स्तरीय शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति जानने हेतु अध्यानार्थ लिया गया है।

न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध मे न्यादर्श के रूप में प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या राजस्थान के भरतपुर जिले के (निजी) उच्चमाध्यमिक विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत 11वीं एवं 12वीं कक्षा के समस्त संकाय के शिक्षक (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला)एवं शिक्षकों को न्यादर्श के निर्माण के स्त्रोंत हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु 75 महिला शिक्षक व 75 पुरूष शिक्षक को न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

निदर्शन–

प्रस्तुत शोध अध्ययन की विधि यादृच्छिक न्यादर्श विधि प्रयुक्त की गई है।

प्रदत्त संकलन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने प्रदत्त संकलन हेतु **''मानवाधिकार संचेतना प्रश्नावली''** का प्रयोग किया है। प्रोफेसर परमानन्द सिंह एवं **डॉ. लालधारी यादव** द्वारा निर्मित प्रश्नावली जिसकी विश्वसनीयता तथा वैधता .01 तथा .05 स्तर पर संतोषजनक है।

मानवाधिकार क्षेत्र

मानवाधिकार संचेतना प्रश्नावली में निम्न मानवाधिकार के क्षेत्र हैं –

संख्या	क्षेत्र	पद संख्या	कुल पद
1	नागरिक अधिकार	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9
2	राजनीतिक अधिकार	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	13
3	आर्थिक अधिकार	23,24,25,26,27,28,29,30	8
4	सामाजिक अधिकार	31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42	12
5	सांस्कृतिक अधिकार	43,44,45,46,47,48	6

		कुल योग	48

सांख्यिकी–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिये मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी परीक्षण

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष :–

मुख्यखण्ड – प्रथम

भाग–प्रथम (लिंग भेद आधारित शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता)

1. संक्रियात्मक परिकल्पना –लिंग भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता

1.1 **संक्रियात्मक परिकल्पना** –उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' शिक्षिक समूहों में शिक्षिका समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं दोनों समूह में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही समूह में नागरिक अधिकार के प्रति समान रूप से जागरूक हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

1.2 **संक्रियात्मक परिकल्पना**।–उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'राजनीतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकार' शिक्षिक समूहों में शिक्षिका समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं दोनों समूह में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही समूह में राजनीतिक अधिकार के प्रति समान रूप से जागरूक हैं अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकार' के प्रति दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका समूहों में लगभग जागरूकता समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

1.3 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति शिक्षिक समूहों में शिक्षिका समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं दोनों समूह में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही समूह में आर्थिक अधिकारों के प्रति समान रूप से जागरूक हैं अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

1.4 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति शिक्षिक समूहों एंव शिक्षिका समूह में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है दोनों ही समूह का सामाजिक परिवेश लगभग समान हैं। एंव शिक्षिक समूहों एंव शिक्षिका समूहों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही समूह सामाजिक अधिकारों के प्रति समान रूप से जागरूक हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

1.5 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति शिक्षिक समूहों एंव शिक्षिका समूह में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है दोनों ही समूह का धार्मिक, सांस्कृतिक एंव सामाजिक परिवेश लगभग समान हैं। एंव शिक्षिक समूहों एंव शिक्षिका समूह में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही समूह सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति समान रूप से जागरूक हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका समूहों में लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

खण्ड. –द्वितीय

विषय वर्ग (विज्ञान+कला+वाणिज्य) आधारित शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की परिकल्पनाएँ :–

2 संक्रियात्मक परिकल्पना –संकाय भेद के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2.1 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रतिकला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

2.2 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं।

दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की राजनीतिक शिक्षा का ज्ञान लगभग समान है। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

2.3 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकार' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूह में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है। कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की आर्थिक अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकार' के प्रति कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

2.4 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकार' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। तथा दोनों ही विषयों के शिक्षकों में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है। कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सामाजिक अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान

लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकार' के प्रतिकला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

2.5 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। तथा दोनों ही विषयों के शिक्षकों में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है। कला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकार' के प्रतिकला एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3.1 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। तथा दोनों ही विषयों के शिक्षकों में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की नागरिक अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान है। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3.2 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है । तथा दोनों ही विषयों के शिक्षकों में समस्तरीय जागरूकता पायी गई है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार

सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3.3 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की आर्थिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3.4 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है । इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि दोनों ही समूह का सामाजिक परिवेश लगभग समान है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सामाजिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3.5 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि दोनों ही समूह का अपनी–अपनी सांस्कृतिक विचार धारा एंव सामाजिक परिवेश लगभग समान है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सांस्कृतिक अधिकारों की विचार धारा सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

4 संक्रियात्मक परिकल्पना– उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

4.1 संक्रियात्मक परिकल्पना– उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। यध्यपि दोनों ही विषयों के शिक्षक अपने– अपने विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं। लेकिन विज्ञान विषयों के शिक्षकों में कला विषयों के शिक्षकों समूह की तुलना में नागरिक अधिकार के प्रति अधिक जागरूकता पायी गई है। जो सोचनीय तथा विश्लेणात्मक तथ्य है। तथा सर्न्दिभित शोध परिकल्पना के सर्न्दभ में कला विषयों के शिक्षकों में और अधिक अपने विषयों में अवधाराणात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप यह भी यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की नागरिक अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'नागरिक अधिकार' के प्रति विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

4.2 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। यध्यपि दोनों ही विषयों के शिक्षक अपने– अपने विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं । लेकिन विज्ञान विषयों के शिक्षकों में कला विषयों के शिक्षकों समूह की तुलना में राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पायी गईहै। जो सोचनीय तथा विश्लेणात्मक तथ्य है। तथा सर्न्दिभित शोध परिकल्पना के सर्न्दभ में कला विषयों के शिक्षकों में और अधिक अपने विषयों में अवधाराणात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप यह भी यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'राजनीतिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

4.3 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'आर्थिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। यध्यपि दोनों ही विषयों के शिक्षक अपने– अपने विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं। लेकिन विज्ञान विषयों के शिक्षकों में कला विषयों के शिक्षकों समूह की तुलना में आर्थिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पायी गई है। जो सोचनीय तथा विश्लेणात्मक तथ्य है। तथा सन्र्दभित शोध परिकल्पना के सन्र्दभ में कला विषयों के शिक्षकों में और अधिक अपने विषयों में अवधाराणात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप यह भी यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की आर्थिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी ''आर्थिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

4.4 संक्रियात्मक परिकल्पना–उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। यध्यपि दोनों ही विषयों के शिक्षक अपने– अपने विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं । लेकिन विज्ञान विषयों के शिक्षकों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में सामाजिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पायी गई है। जो सोचनीय तथा विश्लेणात्मक तथ्य है। तथा सन्र्दिभित शोध परिकल्पना के सन्र्दभ में कला विषयों के शिक्षकों में और अधिक अपने विषयों में अवधाराणात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप यह भी यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सामाजिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सामाजिक अधिकारों' के प्रति विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

4.5 संक्रियात्मक परिकल्पना –उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों मे 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रति जागरूकता कला विषयों के शिक्षक समूहों में विज्ञान विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में कम अन्तर पाया गया है। यध्यपि दोनों ही विषयों के शिक्षक अपने– अपने विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं । लेकिन विज्ञान विषयों के शिक्षकों में कला विषयों के शिक्षक समूह की तुलना में सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पायी गई है। जो सोचनीय तथा विश्लेणात्मक तथ्य

है। तथा तथा सन्दिर्भित शोध परिकल्पना के सन्दर्भ में कला विषयों के शिक्षकों में और अधिक अपने विषयों में अवधाराणात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप यह भी यह कहा जा सकता है कि विज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षकों में चयनित होने की योग्यताएं लगभग समान हैं। दोनों ही विषयों के शिक्षकों में व्यावसायिक अनुभव के आधार पर औपचारिक रूप की सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का ज्ञान लगभग समान हैं। अतः परिणामस्वरुप कहा जा सकता है कि मानवाधिकार सम्बंधी 'सांस्कृतिक अधिकारों' के प्रतिविज्ञान एवं कला विषयों के शिक्षक समूहों में जागरूकता लगभग समान है। अतः निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शैक्षिक निहितार्थ– प्रत्येक शोधकर्ता द्धारा किये गये शोध कार्य को तब तक उपयोगी व सार्थक नहीं माना जा सकता जब तक कि यह शिक्षा के क्षेत्र में समाज एंव राष्ट्र के निर्माण अनी उपयोगिता प्रस्तुत नहीं करता हो, प्रस्तुत अध्ययन में जो निष्कर्ष उभकर सामने आये उनकी शैक्षिक उपयोगिता को निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता हैं।

- ❖ विद्यार्थियों की दृष्टि से ।
- ❖ शिक्षकों की दृष्टि से ।
- ❖ अभिभावक की दृष्टि से ।
- ❖ **विद्यालय** प्रशासन की दृष्टि से ।
- ❖ **समाज** की दृष्टि से ।
- ❖ मानवाधिकार आयोग की दृष्टि से ।
- ❖ शैक्षिक नीति निर्मातओं की दृष्टि से ।

1 **विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी–**विद्यार्थी मानवाधिकार की शिक्षा के बारे में जानकर अपने भावी जीवन को सफल बना सकेंगें। तथा मानवाधिकार की प्रति जागरूकता से व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। विद्यार्थियों में मानवीय दृष्टिकोंण, परस्पर सहयोग के सम्मान तथा विश्वबंधुत्व की भावना विकसित हो सकेगी। विद्यार्थियों में मानवीय दृष्टिकोंण, प्रजातात्रिंक व्यवस्था, सामाजिक, न्याय तथा सामाजिक सेवा की का विकास होगा। विद्यार्थियों में मानवोचित गुणों का विकास हो सकेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन द्धारा सामान्य जन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है। जिससे मानवाधिकारों का हनन न हो। शिक्षक मानवाधिकारों के जागरूक होकर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक उत्कण्ठा जाग्रत कर सकेगें।

2 **शिक्षक की दृष्टि से उपयोगी–** शिक्षकों को मानवाधिकारों का ज्ञान होगा तभी वे बालकों को विद्यालय में मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान कर संचेतना और मानवाधिकार की प्रति जागरूकता का विकास होगा। मानवाधिकार के अनुरुप उनका आचरण बनेगा, वह अपने और अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकारों की रक्षार्थ लडेगें तथा स्वंय मानवाधिकारों के हनन से

बच सकेगें। अत शिक्षक, विद्यार्थियों कें अधिकारों की सही जानकारी दे सकेगें व स्वंय मानवाधिकारों का उल्लधन नहीं कर सकेगें। शिक्षक आम नागरिकों का तथा विद्यार्थियों में संविधान की अनुपालना तथा संविधानके विरुद्व आचरण नहीं करने का भाव उत्पन्न कर सकेगें। शोध के अध्ययन द्वारा मानवाधिकार शिक्षा का पाठ्यक्रम मे अनिवार्य रुप से लागू करके छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा कि मानवाधिकार शिक्षा उनके सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, शैक्षिक सांस्कृतिक तथा नागरिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य हैं।

3. **अभिभावकों की दृष्टि से उपयोगी–** अभिभावकों को मानवाधिकार का ज्ञान आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगें । मानवाधिकार सम्बन्धी नागरिकों तथा राजनैतिक अधिकारों के प्रति जानकारी प्राप्त सकेंगें। शैक्षिक अधिकारों का ज्ञान दे सकेंगें इससे समाज में अच्छे नागरिक का विकास होगा। अभिभावक भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेगें।

4. **विद्यालय प्रशासन की दृष्टि से–** प्रशासकों कों मानवाधिकार का ज्ञान आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगें। तथा दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करेगें। प्रशासक अपने विद्यालय में मानवाधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन कर सकेगें। यह शोध अध्ययन नीति निर्धारकों एंव क्रियान्वयन करने वालों को उन मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए तत्पर बना सकेगा जो मानवाधिकारों के उल्लघन से सम्बन्धित है । प्रशासक अपने अधिकारों के बारे में जानकर प्रशासन की ज्यादती पर रोक लगा सकेगा तथा मानवीय गरिमा को बनाये रखने के लिए हमेशा जागरुक रहेगा ।

5 **समाज की दृष्टि से उपयोगी–** समाज बहुत से लोगों से मिलकर बनता है। यदि समाज के सभी सदस्यों को समाज की उन्नति होगी मानवाधिकार का ज्ञान होगा तो समांज की उन्नति होगी।तथा कोई दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करेगें। इससे समाज में शान्ति और भाई चारा बना रहेगा।राष्ट्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लघंन से सम्बन्धित समस्याओं का सुलझाने में व्यापक दृष्टिकोंण उत्पन्न कर सकेगा। शिक्षक व शिक्षार्थी सामाजिक परिवर्तन के विविध आयामों व उनके शैक्षिक उपयोग के समझने में सक्षम हो सकेगें

6 **उत्तम नागरिक बनाने के उपयोगी–** मानवाधिकार का ज्ञान देकर, उत्तम नागरिकों का निर्माण कर सकेगें। सभी दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखेगें । फलस्वरुप देश का विकास होगा। मानवाधिकारों के ज्ञान से जनता का कल्याण और सुख की व्यवस्था की जा सकती है। तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उपयोगी सिद्व हो सकता है। आम नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने में सक्षम हों सकेगें तथा अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सकेगें ।

आगामी शोध हेतु सुझाव –

प्रस्तुत अध्ययन की सीमाएं सीमित है तथा यह निर्धारित समय में अधिक न्यादर्शों के रुप में शिक्षकों पर किया गया है। तथा यह अध्ययन और अधिक विशाल न्यादर्शों के समूहों पर किया जा सकता है।

1. यह अध्ययन राजस्थान के जिला भरतपुर में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर अध्ययापनरत् शिक्षकों पर किया गया है। तथा यह प्राइमरी स्कूलों एवं माध्यमिक स्कूलों तथा यह विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों व शिक्षकों पर किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत अध्ययन केवल दो समूहों शिक्षक पर किया गया है। इसमें कुल न्यादर्शों 150 शिक्षकों पर किया गया है। यह अध्ययन और अधिक शिक्षकों पर किया जा सकता है।
3. यह अध्ययन केवल गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया है। यह अध्ययन सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों पर पृथक–पृथक भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत अध्ययन में केवल मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन नागरिक अधिकार ,राजनीतिक अधिकार , आर्थिक अधिकार , सामाजिक अधिकार , सांस्कृतिक अधिकार , जैसे मनुष्य के विकासात्मक मूल्यों पर किया गया है। तथा यह समाज के अन्य मूल्यों पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया जा सकता है।
5. इस प्रस्तुत इस अध्ययन में विद्यार्थियों एंव शिक्षकों के ज्ञान व विचारों एंव समझ के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। तथा यह अध्ययन विद्यार्थियों एंव समाज तथा परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों के विचारों एंव समझ के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है।
6. यह अध्ययन उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों पर किया गया है। तथा यह अध्ययन प्राईमरी स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं व शिक्षकों पर किया जा सकता है।
7. यह अध्ययन केवल एक जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों स्तर पर किया गया है। यह अध्ययन राजस्थान के सम्पूर्ण जिलों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों स्तर के विद्यार्थियों एंव शिक्षकों पर भी किया जा सकता है।

8. यह अध्ययन राजस्थान के एक ही राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर किया गया है। यह अध्ययन अन्य राज्यों के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एंव विद्यार्थियों पर किया जा सकता है।

9. यह अध्ययन सम्पूर्ण राजस्थान एवं अन्य राज्यों से भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन कर सकते है। प्रस्तुत अध्ययन का कुल न्यादर्श 150 शिक्षकों पर है। यह अध्ययन अधिक न्यादर्श पर भी हो सकता है।

10. यह अध्ययन केवल गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों पर किया गया है तथा यह अध्ययन सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एंव शिक्षकों पर भी किया जा सकता है।

11. यह अध्ययन केवल गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों पर किया गया है तथा यह अध्ययन सरकारी उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एंव शिक्षकों पर भी किया जा सकता है।

12. यह अध्ययन 11वी. एंव 12वीं कक्षा पर किया गया है तथा यह माध्यमिक स्तर पर किया जा सकता है। यह अध्ययन समाज व पारिवारिक आधार पर भी किया जा सकता है।

13. यह अध्ययन केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों पर जो कि भरतपुर जिले से सम्बन्धित हैं। तथा यह अध्ययन अन्य जिलों के सम्बन्धित उच्च माध्यमिक विद्यालयक तथा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं तथा शिक्षकों पर भी किया जा सकता है।

14. यह अध्ययन जिला भरतपुर के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययापनरत शिक्षकों पर किया गया है तथा इस संदर्भ में यह शोध इस जिले में स्थित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राएं एंव अध्ययापनरत शिक्षकों पर भी किया जा सकता है।

15. यह अध्ययन केवल भारत के एक राज्य राजस्थान के एक जिले में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययापनरत शिक्षकों पर किया गया है जबकि यह अध्ययन विदेशों में

अध्ययनरत इसी स्तर के अध्ययनरत छात्रों तथा छात्राएं एंव अध्ययापनरत शिक्षकों पर कर सकते है।

16. यह अध्ययन केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों पर जो कि समेकित रूप से सभी सकायों के विद्यार्थियों व शिक्षकों पर किया गया है। तथा यह अध्ययन पृथक–पृथक संकायों के इसी स्तर के विद्यार्थियों व शिक्षकों पर किया जा सकता है।

17. यह अध्ययन केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों पर केवल मानवाधिकारों की समझ के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तथा यह अध्ययन विद्यालय स्तर प्राशानिक व्यवस्थाओं में कार्यरत कर्मचारीयों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित विचारों एंव समझ के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंसारी, एम.ए. (2000) :– महिला और मानवाधिकारशीतल प्रिन्टर्स, जयपुर।
2. अग्रवाल, डॉ0 उमेश चन्द्र (2000) :– वर्तमान संदर्भ में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता, उपकार प्रकाशन, आगरा।
3. अर्जुन देव, गुप्ता इंदिरा दास (1998) :– मानव अधिकार (स्त्रोत ग्रन्थ) एन. सी. ई.आर.टी. देहली।
4. अरोड़ा, रीटा (2005) शिक्षा में नव चिंतन, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
5. भार्गव, गोपाल (2003) :– ह्यूमन राइट्स कानप्लिक्ट्स टू वर्ल्ड पीस, नई दिल्ली।
6. बवेला, डॉ0 बंसती लाल (2008) :– पुलिस प्रशासन अन्वेषण एवं मानवाधिकार, विधि पुस्तक प्रकाशन, जयपुर।
7. फडिया, बी.एल. (2008) :– प्रतियोगिता साहित्य, राजनीति विज्ञान राजस्थान, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
8. शरीन, डॉ0 शशिकला एवं शरीन डॉ0 अंजलि :– शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा–2

(सिविल) मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिपोर्ट नं0 18 (2013), पृ0 263